

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.6(12)एमई/ग्रुप-1/2011

जयपुर, दिनांक : **11 DEC 2014**

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज,
अजमेर/ बीकानेर/जयपुर/
जोधपुर/उदयपुर/कोटा।

विषय :- सेवारत रेजीडेंट चिकित्सकों (CAS PG) की वेतन विसंगतियां दूर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवारत चिकित्सकों (CAS PG) के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन जिसमें की वेतन विसंगतियां दूर करने का निवेदन किया गया है प्रस्तुत ज्ञापन पर वित्त विभाग की राय प्राप्त की वित्त विभाग से उनके अशा0 टीप प. 1 (3) वित्त/नियम/2002 दिनांक 13.11.2014 से प्राप्त राय के आधार पर निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सेवारत चिकित्सकों को पी.जी. अध्ययन (MD/MS/DM/MCH) के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने पर उनको चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर पर स्टाइपेण्ड का भुगतान किया जा सकेगा परन्तु स्टाइपेण्ड की राशि अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन एवं अध्ययन अवकाश पर देय वेतन की अन्तर राशि अधिक नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त व्यवस्था किये जाने पर स्टाइपेण्ड के मूल नियमों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता हो। “ There will be deduction in salary for the period of boycott of work”
2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 110 के प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है उन सेवारत पी.जी. अध्ययनरत चिकित्सकों की अंतिम परिलब्धियों की गणना अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त मूल वेतन, मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अन्य देय भत्तों एवं समय समय पर देय मंहगाई भत्ते के आधार पर की जायेगी तथा इस प्रकार गणना की गई परिलब्धियों में से अध्ययन अवकाश पर देय वेतन (मूल वेतन की 50 प्रतिशत) एवं इस राशि पर समय समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं एनपीए की राशि कम की जाकर अन्तर राशि स्टाइपेण्ड के रूप में दी जावेगी। चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश वेतन (अर्द्धवेतन) के साथ देय स्टाइपेण्ड की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

1. अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के समय का मूल वेतन
2. उस पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार मंहगाई भत्ता।
3. अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के समय प्राप्त एनपीए।
4. अध्ययन अवकाश के समय प्राप्त मकान किराया भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। (यदि देय हो)
5. योग 1 से 4
6. घटाइये :-



